कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर ।
(जयपुर विकास प्राधिकरण, भवन)

क्रमांक:भू. अ./नविप्रा/91 दिनांक :12.6.91

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कृत्यों के निर्वहन व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम झोटवाड़ा तहसील जयपुर में भूमि अवाप्ति बाबत (पृथ्वीराज नगर योजना)

मुकदमा नम्बर:-

1. 2/88
2. 9/88
3. 10/88
4. 11/88
5. 14/88
6. 15/88

अ वा र्ड

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि को अवाप्ति हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) की धारा 4 (1) के तहत क्रमांक प-6 (15)/नविआ/11/87 दिनांक 6.1.1988 तथा गजट प्रकाशन राजस्थान राज पत्र 7 जुलाई 1988 को करवाया गया ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 5 ए की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने को उपरान्त राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 6 के गजट प्रकाशन क्रमांक प-6 (15)नविआ/3/87 दिनांक 28.7.89 का प्रकाशन राजस्थान राज पत्र जुलाई 31, 1989 को किया गया ।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा 6 का गजट प्रकाशन करवाया गया उसमें ग्राम झोटवाड़ा तहसील जयपुर में अवाप्तिधीन भूमि को स्थिति निम्न प्रकार बताई गई है :-

क्र.सं.	मु0 न0	ख.नं.	खातेदार/हितदार का नाम	अवाप्तिधीन भूमि का रकबा बी. - बि.
1	2	3	4	5
1.	2	311	हनुमानसिंह, शिव बहादुर, रामचन्द्र पिता नाथू गूजर	15-16
2.	9	419	प्रभात पु. रघुनाथ, नाथु पु. हरदेव भूरा पु. हरदेवा माली	1-06
3.	10	406	रतन लाल, बाबुलाल पु. छीतर,	0-10
		407	कानी बेवा छीतर 1/3 पुरणचन्द	0-16
		408	दुर्गालाल, हीरालाल पु. लक्ष्मीनारायण	1-02
		420	रुकमा बेवा लक्ष्मीनारायण 1/4 हर हि. 1/3 गेहू, भगवान पि. लाडू 1/3 नन्दा, नेन्धया पि. गोपा, [illegible] बिरधा, जगदीश पु. कल्याण माली हि. बराबर 1/3	0-03

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

.....2

1.	2.	3.	4.	5.
4.	11	422	कालू, लादू, गणेश पि. सेवा हि. 1/4 नाथा, मुराद पि. हरदेव, प्रताप पु. रघनाथ 1/2 गुज्या पु. नुसंगा, मुरा पु. टीकू 1/4 कोम माली	0-02
5.	14	445	श्रीनारायण, सज्जन लाल पु. मन्ना जाट	6-11
6.	15	401	प्रताप, पांचू, मुल्या, सीताराम पु. रघनाथ माली	1-00

क्रम संख्या 1 मुकदमा संख्या 2 खसरा नम्बर 311 :-

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 311 श्री हनुमान सिंह विजय बहादुर, रामचन्द्र पि. नाथु गुर्जर के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को दिनांक 17.12.90 को नोटिस दिया गया । जिसे तामिल कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार चस्पान्दगी द्वारा तामिल कराया गया । बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं हुआ । इसके पश्चात खातेदारान/हितदारान को दिनांक 19.4.91 को धारा 9 व 10 का नोटिस दिया गया । जिसे तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार चस्पान्दगी से तामील कराया गया । इसके पश्चात दिनांक 24.4.91 के नवभारत टाइम्स एवं दैनिक नवज्योति समाचार पत्रों में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन कराया गया । बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं हुआ । अतः खातेदारान/हितदारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

क्रम संख्या 2 मुकदमा संख्या 9 खसरा नम्बर 419 :-

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 419 श्री प्रभात पुत्र रघनाथ, नाथु पुत्र हरदेव, मुरा पुत्र हरदेवा माली के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत दिनांक 17.12.90 को खातेदारान को नोटिस दिया गया । जो तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 25.1.91 को चस्पान्दगी द्वारा तामील कराया गया । बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं हुआ । इसके पश्चात दिनांक 19.4.91 को खातेदारान को धारा 9 व 10 के नोटिस दिये गये जो तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार चस्पान्दगी द्वारा तामील कराये गये । इसके पश्चात दिनांक 24.4.91 के नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन कराया गया । बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं हुआ । अतः खातेदारान/हितदारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

क्रम संख्या 3 मुकदमा संख्या 10 खसरा नम्बर 406, व 407, 408, 420 :-

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 406, 407, 408, 420 श्री रतनलाल, बाबुलाल पुत्र छीतर, कानी बेवा छीतर, पुरण चन्द, दुर्गालाल हीरालाल पुत्र लक्ष्मीनारायण, रुकमा बेवा लक्ष्मीनारायण, सेडू, भंवर पिता लाडू, चन्दा, मेन्चया पिता गणेश, बिरधा, जगदीश पुत्र कल्याण माली के नाम दर्ज है ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

.... 3

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत दिनांक 17.12.90 को खातेदारान को नोटिस दिये गये । जो तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 25.1.91 को चस्पान्दगी द्वारा तामील कराये गये । बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं हुआ । इसके पश्चात दिनांक 19.4.91 को खातेदारों को धारा 9 व 10 के नोटिस दिये गये । जो तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार चस्पान्दगी द्वारा तामील कराये गये । इसके पश्चात दिनांक 24.4.91 के नवभारत टाइम्स एवं दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन कराया गया । बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं हुआ । अतः खातेदारों के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

क्रम संख्या 4 मुकदमा संख्या 11 खसरा नम्बर 422 :-

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा म नम्बर 422 की कालू लादू, गणेश पिता सेवा, नाथा, भूरा पिता हरदेव, प्रताप पुत्र रूघनाथ गंगा, पुत्र नूंतमा, भूरा पुत्र टीकू के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत दिनांक 17.12.90 को खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिये गये । जो तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 25.1.91 को चस्पान्दगी द्वारा तामील कराये गये । बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं हुआ । इसके पश्चात दिनांक 19.4.91 को खातेदारान/हितदारान को ~~दिनांक 19.4.91~~ को धारा 9 व 10 के नोटिस दिये गये । जो तामील कुनिन्दा की ~~रिप~~ हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार चस्पान्दगी द्वारा तामील कराये गये । इसके पश्चात दिनांक 24.4.91 के नवभारत टाइम्स एवं दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन कराया गया । बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं हुआ । अतः खातेदारान/हितदारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

क्रम संख्या 5 मुकदमा नम्बर 14 खसरा नम्बर 445 :-

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 445 की नारायण, सज्जन लाल पुत्र भन्ना जाट के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत दिनांक 17.12.90 को खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिया गया । जो तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 25.1.91 को चस्पान्दगी द्वारा तामील कराया गया । बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं हुआ । इसके पश्चात दिनांक 19.4.91 को खातेदारान/हितदारान को धारा 9 व 10 का नोटिस दिया गया । इसे तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार चस्पान्दगी द्वारा तामील कराया गया । इसके पश्चात दिनांक 24.4.91 के नवभारत टाइम्स एवं दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन कराया गया । बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं हुआ । अतः खातेदारान/हितदारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

...... 4

59

क्रम संख्या 6 मुकदमा संख्या 15 खसरानम्बर 401 :-

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 401 श्री प्रताप पुत्र मुन्ना, सीताराम पुत्र रूपनाथ माली के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारों को दिनांक 17.12.90 को नोटिस दिया गया । जिसे तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 25.1.91 को चस्पान्दगी द्वारा तामील कराये गये । बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं हुआ । इसके पश्चात दिनांक 19.4.91 को खातेदारों को धारा 9 व 10 का नोटिस दिया गया । जो तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार चस्पान्दगी द्वारा तामील कराया गया । इसके पश्चात दिनांक 24.4.91 के नव भारत टाइम्स एवं दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन कराया गया । बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं हुआ । अतः खातेदारान/हितदारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

उक्त प्रकरणों में केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 (1) के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 27.4.91 को दिये गये । जो तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 2.5.91 को सम्बन्धित तहसील पंचायत समिति नोटिस बोर्ड ग्राम पंचायत एवं सरपंच को दिये गये तथा चस्पान्दगी से भी तामील कराये गये ।

मुआवजा निर्धारण :-

जहाँ तक पृथ्वीराज नगर योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प-6 (15) नविआ/87 दिनांक 1.1.89 द्वारा मुआवजे की राशि निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन शासन सचिव राजस्व विभाग की अध्यक्षता में किया गया था लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में से किसी भी ग्राम के मुआवजे की राशि का निर्धारण नहीं किया । इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 353-355 दिनांक 11-2-91 द्वारा शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा जयपुर विकास आयुक्त [illegible], जविप्रा, एवं सचिव जविप्रा को निवेदन भी किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी से मुआवजे निर्धारण करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करा ली जावे । इसके उपरान्त समय - समय पर आयोजित मिटिंग्स में भी मुआवजा निर्धारण के लिए निवेदन किया गया लेकिन कमेटी द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है ।

इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में स्थित भूमि के किसी भी खातेदार/हितदार को बुलाकर समझौता/निष्पादन नहीं किया गया ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

...... 5

विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जो निर्णय कृषि भूमि के मुआवजे निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किये है । उन में कृषि भूमि के मुआवजे के निर्धारण का तरीका धारा 4 के गजट ~~नोटिफि~~ नोटिफिकेशन के समय रजिस्ट्रीयों द्वारा उस क्षेत्र में पंजीयन दर के अनुसार निर्धारण माना गया है । पृथ्वीराज नगर योजना में धारा 4 का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 7.7.88 को हुआ था इसलिए विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णय के परिपेक्ष में 7 जुलाई 1988 को विभिन्न उप पंजीयकों के यहाँ पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र में भूमियों की रजिस्ट्रेशन की क्या दर थी उस पर विचार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता है ।

जहाँ तक उपरोक्त खसरा नम्बर के खातेदार/हितदार को मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है उपरोक्त सभी मामलों में एक तरफा कार्यवाही होने के कारण एवं खातेदारान/हितदारान द्वारा कोई क्लेम पेश नहीं करने के कारण खातेदारान/हितदारान की ओर से मुआवजे की राशि की मांग का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण जिसके लिए भूमि अवाप्ति की जा रही है का भी पक्ष ज्ञात किया गया जविप्रा के सचिव ने पत्र क्रमांक टी.डी. आर/91/336 दिनांक 3.6.91 द्वारा इस संबंध में सूचित किया है कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय ग्राम ओटवाड़ा में 20,000/- रु0 प्रति बीघा के अनुसार भूमियों का पंजीयन हुआ था इसलिए जहाँ तक उनके पक्ष का सम्बन्ध है यह दर उचित है ।

हमने इस सम्बन्ध में उप ~~उ~~ पंजीयक एवं तहसीलदार तहसील जयपुर के यहाँ भी अपने स्तर पर जानकारी प्राप्त की तो यह ज्ञात हुआ कि धारा -4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी। तहसीलदार जविप्रा प्रथम ने भी अपने यू0 ओ0 नोट दिनांक 8.5.91 द्वारा तहसील जयपुर में धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय जमीन की विक्रय दर यही बताई है ।

लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र के आसपास की भूमि की मुआवजा राशि 24,000/- रु0 प्रति बीघा की दर से अवार्ड पारित किए गए है जिनका अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुका है । जविप्रा के अभिभाषक श्री के0 पी0 मिश्रा ने कोई लिखित में उत्तर नहीं देकर मौखिक रूप से निवेदन किया है कि यदि मुआवजा राशि 24,000/-रु0 प्रति बीघा की दर से दी जाती है तो जविप्रा को कोई आपत्ति नहीं होगी । क्योंकि कुछ समय पूर्व इस न्यायालय द्वारा इस भूमि के आस-पास के क्षेत्र में 24,000/- रु0 प्रति बीघा की दर से अवार्ड पारित किए गए है ।

अतः इस मामले में भी हम भूमि की मुआवजा राशि 24,000/- रु0 प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते है एवं हम यह भी मानते है कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

61

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अवार्ड पारित करने के लिए 2 वर्ष की समयावधि नियत है लेकिन खातेदारान/हितदारान को धारा 9 व 10 के नोटिस तामील कुनिन्दा द्वारा तामील कराये जाने पर एवं समाचार पत्र में प्रकाशन के बाद भी खातेदारान/हितदारान का उपस्थित नहीं होना एवं क्लेम पेश नहीं करना इस बात का द्योतक है कि वे अपना पक्ष प्रस्तुत करना नहीं चाहते इसलिए एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है ।

जहाँ तक पेड़, पौधे, मकान, कुएं एवं भूमि पर बने अन्य स्ट्रक्चर का प्रश्न है खातेदारान/हितदारान द्वारा कोई तखमीना पेश नहीं किया गया और ना ही न्यास द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित तखमीना पेश किया गया है ऐसी स्थिति में स्ट्रक्चर अगर कोई हो तो उसके मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा रहा है। न्यास से तकनीकी रूप से अनुमोदित तखमीना प्राप्त होने पर उस पर विचार करके नियमानुसार मुआवजे का निर्धारण किया जायेगा ।

इस भूमि के मुआवजे का निर्धारण 24,000/- रु0 प्रति बीघा की दर से करते है लेकिन मुआवजे का भुगतान विधिवत् रूप से मालिकाना हक संबंधी दस्तावेजात पेश करने पर ही किया जायेगा । मुआवजे का निर्धारण परिशिष्ट "ए" के अनुसार जो इस अवार्ड का भाग है, के अनुसार किया जा रहा है ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रथम) एवं सक्षम अधिकारी नगर भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31.5.91 द्वारा इस न्यायालय को सूचित किया है कि पृथ्वीराज नगर योजना के समस्त 22 ग्राम जयपुर नगर संकुलन सीमा में निहित है । अरबन अधिनियम 1976 से भी प्रभावित है लेकिन उन्होंने यह सूचना नहीं दी कि अरबन अधिनियम की धारा 10 (3) की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी है अथवा नहीं ऐसी स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये जा रहे है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23 (1)-ए एवं 23(2) के अन्तर्गत मुआवजे की राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सोलिशियम राशि एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि भी देय होगी जिसका निर्धारण संलग्न परिशिष्ट "ए" में मुआवजे की राशि के साथ दर्शाया गया है ।

यह अवार्ड आज दिनांक 12-6-91 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं जयपुर
जयपुर

संलग्न: परिशिष्ट "ए" गणना तालिका.

यह अवार्ड आज दि. 12/6/91 को राज्य सरकार के पत्र क्रमांक F-6 (15) नविवि/87 पार्ट दि. 19/7/91 के द्वारा अनुमोदित होकर प्राप्त हुआ है। अतः यह अवार्ड आज दि. 2/7/91 को मैंने इजलास घोषित कर फाइनल किया जाता है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

62

परिशिष्ट "इ" मुआवजा तालिका ग्राम छोटपाड़ा

क्र.	नाम खातेदार/हितदार	मु0 न0	ख. न.	रकबा बी.बि.	भूमि के मुआवजे की दर	भूमि के मुआवजे की राशि	सौलिशियम राशि 30%	अति. राशि 12% प्र.व.	कुल मुआवजा राशि
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	हनुमानसिंह, विजय बहादुर, रामचन्द्र पिता नाथु कुंवर	2	311	15-16	24,000/-	3,79,200/-	1,13,760/-	1,33,478/-	6,26,438/-
	कुमार पु. रघुनाथ, नाथु पु. हरदेव भूरा पु. हरदेवा माली	9	419	1-06	"	31,200/-	9,360/-	10,982/-	51,542/-
	रतनलाल, बाबुलाल, छोटूपु. छीतर, बानी बेवा छीतर 1/3 पूरण चन्द, हुर्वलाल हीरालाल, पु. लक्ष्मीनारायण, रुक्मा बेवा लक्ष्मीनारायण 1/4 दर हि. 1/3, सेडू हरदेव पि. नाहु 1/3 चन्दा, भैरवा पि. गणेश, बिरधा, जगदीश पु. कल्याण माली हि. बराबर 1/3	10	406 407 408 420	0-10 0-16 1-02 0-05 2-11	"	61,200/-	18,360/-	21,542/-	1,01,102/-
	कालु, नाथु, गणेश पि. सेवा 1/4, नाथा भूरा पि. हरदेव, कुशाल पु. रघुनाथ 1/2 [illegible] पु. भूलमा, भूरा पु. टिकू 1/4	11	422	0-02	"	2,400/-	720/-	845/-	3,965/-
	लक्ष्मीनारायण, सज्जन ला। पु. कन्ना बाट	14	445	6-11	"	1,57,200/-	47,160/-	55,334/-	2,59,694/-
	प्रताप, पांचु, मुल्तार, सीताराम पु. रघुनाथ माली	15	401	1-00	"	24,000/-	7,200/-	8,448/-	39,648/-
						6,55,200/-	1,96,560/-	2,30,639/-	10,82,39[illegible]/-

नोट:- 1. सौलिशियम राशि 30% मुआवजा राशि पर दी गई है।
2. अतिरिक्त राशि 12% की धारा धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 7.7.83 से 12.6.91 तक की गई है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर।
जयपुर